फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

घीसा लाल पुत्र नारायण लाल रेगर निवासी जहाजपुर

बनाम

कजोड पुत्र लादूलाल बलाई निवासी पीपलुन्द वगैरह

मुकदमा नंबर 342/2024

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
13/05/2024	प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2641, 2642 कुल किता 02 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम पीपलुन्द प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2641, 2642 कुल किता 02 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रू राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे।** पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। **तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। आदेश आज दिनांक 13/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा	

Scanned with CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक / रीडर / 2024 / 342 / 2024 दिनांक– 13 / 05 / 2024

निमित्त–

तहसीलदार जहाजपुर

विषयः– प्र.स. 342 / 2024 अनवान घीसा लाल पुत्र नारायण लाल रेगर निवासी जहाजपुर बनाम कजोड पुत्र लादूलाल बलाई निवासी पीपलुन्द, मांगीय पुत्र लादुलाल बलाई निवासी पीपलुन्द, रामदेव पुत्र काना बलाई निवासी पीपलुन्द, कैलाश पुत्र बंशी रेगर निवासी पीपलुन्द, प्रभू पुत्र लालिया रेगर निवासी पीपलुन्द, भुला पुत्र उदा रेगर निवासी पीपलुन्द, मांगीलाल पुत्र बंशी रेगर निवासी पीपलुन्द, लादु पुत्र खेमा रेगर निवासी पीपलुन्द, गोपाल दत्ताक पुत्र भैरू मीणा निवासी पीपलुन्द, कैलाश पुत्र दुर्गा ढोली निवासी पीपलुन्द, रमेश पुत्र दुर्गा ढोली निवासी पीपलुन्द, प्रकाश पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम पीपलुन्द प.ह. **पीपलुन्द** आराजी सं. 2641, 2642 कुल किता 02 रकबा 1.9425 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों **की उपस्थिती** में पत्थरगढी करने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त **किया जाता है।** कमीशनर फीस 1000 रूपये तय किए जाते है जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, **उनमें से** 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। **पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते है।** पालना रिपोर्ट 15 योम **में पेश करे।**

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

Scanned with CamScanner